

ठा. 11-21

पत्रावली पेश। वकील शर्मा उप. नही।  
शर्मा व वकील शर्मा को लुके न्यायालय में  
वाट-वाट जो-जो से आवरणें लगाई  
गई लेकिन दिल्ली शर्मा अचलतक  
कालतन न्यायालय में उपस्थित नहीं। अतः  
यह शर्मा परत अहम शर्मा व अहम  
पैरवी से इसी स्वातंत्र्य खारिज किया जाता  
है। पत्रावली के सब मुद्दा हेतु दायित्व  
रक्षित है।

(अभिलेख)  
उपखण्ड अधिकारी  
मद्रास